Act No. 12 of 2014.

2014 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

खण्डों का क्रम

खण्ड:

1. संक्षिप्त नाम ।
2. बृहत् नाम का संशोधन।
3. धारा 1 का संशोधन।
4. धारा 2 का संशोधन।
5. धारा 3 का संशोधन।
6. धारा 14 का संशोधन।
7. धारा 28 का संशोधन।

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम।

2. हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) के बृहत् नाम में, "बस अड्डों के प्रबन्ध" शब्दों से पूर्व "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। बृहत् नाम का संशोधन। 1999 का 18

3. मूल अधिनियम की धारा 1 में, "हिमाचल प्रदेश" शब्दों के पश्चात् "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 1 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में, "धारा 3 के अधीन गठित" शब्दों के पश्चात् "हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 2 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में, "हिमाचल प्रदेश" शब्दों से पश्चात् "शहरी परिवहन तथा" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 में,- धारा 14 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, "बस अड्डों का प्रबन्ध" शब्दों के पश्चात् "और इस द्वारा उपाप्त परिवहन बसों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपधारा 3 में,–

(i) खण्ड (क) में, "विकास, सन्निर्माण और अनुरक्षण" शब्दों और चिन्ह के पश्चात् "तथा इस द्वारा उपाप्त बसों के चलाए जाने को विनियमित, संचालित और नियन्त्रित" शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खण्ड (झ) में, "सभी कार्य कर सकेगा" शब्दों से पूर्व "या तो स्वयं या सहउद्यम में अथवा लोक निजी भागीदारी (पी०पी०पी०) के आधार पर ऐसे" शब्द और कोष्ठक अन्तःस्थापित किए जाएंगे; और

(iii) खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (ञ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(ञ) गुणवत्ता पर आधारित मल्टी–मॉडल लोक प्रणालियों की स्थापना की व्यवस्था करना जो विभिन्न माध्यमों से अवरोध रहित यात्रा की व्यवस्था करने में उचित रूप में एकीकृत हों। "।

धारा 28 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खण्ड (ञ) में, "बस अड्डों का दक्ष और उचित प्रबन्ध" शब्दों के पश्चात् "तथा इस द्वारा उपाप्त परिवहन बसों का विनियमन" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

अध्यक्ष
अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश
विधान सभा, शिमला

शिमला–171 004.
दिनांक : 12-03-2014

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल ।
राज्यपाल
हिमाचल प्रदेश

शिमला–171 002.
दिनांक : 29- 3-2014

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 4 OF 2014

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2014

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2014

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of Long title.
3. Amendment of section 1.
4. Amendment of section 2.
5. Amendment of section 3.
6. Amendment of section 14.
7. Amendment of section 28.

Bill No. 4 of 2014

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2014

(AS PASSSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Amendment) Act, 2014. Short title.

2. In Long title of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (hereinafter referred to as the "principal Act"), after the words "and development of", the words "City Transport and" shall be inserted. Amendment of Long title.

3. In section 1 of the principal Act, after the words "Himachal Pradesh", the words "City Transport and" shall be inserted. Amendment of section 1.

4. In section 2 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (f), after the words "means the", the words "Himachal Pradesh City Transport and" shall be inserted. Amendment of section 2.

5. In section 3 of the principal Act, in sub-section (1), after the words "Himachal Pradesh", the words "City Transport and" shall be inserted. Amendment of section 3.

Amendment of section 14.

6. In section 14 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the words "Authority to manage the bus stands", the words " and transport buses procured by it" shall be inserted. ; and

(b) in sub-section (3) , -

(i) in clause (a), after the words and sign "Bus- Stands", the words and sign "and regulate, operate and control the plying of buses procured by it " shall be inserted. ;

(ii) in clause (i), after the words "by this Act", the words, signs and letters "either on its own or in joint venture or on Public Private Participation (PPP) basis" shall be inserted. ; and

(iii) after clause (i), the following new clause (j) shall be inserted, namely:-

"(j) provide for establishment of quality focused multi-model public transport systems that are well integrated providing seamless travel across modes.".

Amendment of section 28.

7. In section 28 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (j), after the words "proper management of the bus stands", the words "and regulation of transport buses procured by it" shall be inserted.

मैं, हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 4) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

उर्मिला सिंह

राज्यपाल,

हिमाचल प्रदेश।

राज्यपाल

हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 4) के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

चिराग भानु सिंह

प्रधान सचिव (विधि),

हिमाचल प्रदेश सरकार।